भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

२००००

Rs 20000 INDIA NON JUDICIAL Rs 20000

03CC 305247

विक्रय विलेख

विक्रय मूल्य	: रू0 17,32,905/-
बाजार मूल्य	: रू0 8,30,700/-
स्टाम्प शुल्क	: रू0 1,73,300/-
परगना	: बिजनौर

यह विक्रय विलेख मुन्नी दीन, नौमीलाल पुत्र श्री पिताई, महावीर पुत्र बुद्धू, मेवई पुत्र झाऊ, निवासी –ग्राम –युसुफनगर, उर्फ बगियामऊ, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ एवं जिन्हें

[illegible] कोषागार, [illegible]

5-11-04

[illegible]

A1732601

[illegible]

5/11/04

[illegible]

5/11/04

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES 20000

Rs 20000 INDIA NON JUDICIAL Rs 20000

03CC 305246

आगे विक्रेतागण कहा गया है, एवम् सतान पुत्र भैकू वर्तमान निवासी–254, चन्द्रलोक, अलीगंज, लखनऊ एवं स्थाई निवासी–ग्राम मिर्जापुर मिटौलिया, पोस्ट–नौगाँव, जिला–फतेहपुर [redacted] जिसे आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेतागण भूमि खसरा संख्या–51 रकबा–0.553 व खसरा संख्या–76 रकबा 0.370 हेक्टेअर, कुल रकबा 0.923 हेक्टेअर, स्थित ग्राम यूसुफ नगर बनियामऊ, परगना –बिजनौर, तहसील व जिला, लखनऊ, का मालिक, काबिल व काबिज है

[illegible]

14-11-07

[illegible]

5/1/07

[illegible]

5/1/07

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs.20000 INDIA NON JUDICIAL Rs.20000

03CC 305249

तथा उपरोक्त सत्यापित पंचवार्षिक खसरा खतौनी क्रम संख्या 50 के अनुसार भूमि विक्रेतागण के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है। विक्रेतागण अपना सम्पूर्ण हिस्सा क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेतागण उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेतागण यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेतागण ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है।

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs. 20000/-

INDIA NON JUDICIAL

Rs. 20000/-

0300 305250

उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेतागण के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेतागण को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सहमति के फलस्वरूप रू0 17,32,905/- (सत्रह लाख बत्तीस हजार नौ सौ पाँच रुपया) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेतागण को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं

03CC 305251

जिसकी प्राप्ति को विक्रेतागण यहाँ स्वीकार करता है, तदानुसार उक्त विक्रेतागण उक्त क्रेता के साथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेतागण ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखुशी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेतागण तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेतागण ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

२००००

रुपये

Rs 20000 रु INDIA NON JUDICIAL Rs 20000 रु

03CC 305252

A.T.O/S.O.
TRY.LKO.

सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे मे सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेगे। विक्रेतागण उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेतागण के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जावे तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय

03CC 305253

A.T.O/T.O.
TRY. LKO.

हर्जा व खर्चा, विक्रेतागण की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थिति में विक्रेतागण एवं उनके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेतागण भुगतान व वहन करेगें, विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी।

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES 20000

Rs 20000 रु INDIA NON JUDICIAL Rs 20000 रु

03CC 303254

A.T.O.T.O.
TRY.LKO

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम खुजुक नगर परिधायक, अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सर्किल रेट रु0 9,00,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.923 हेक्टेअर की मालियत रु0 8,30,700/- होती है। चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रु0 1,73,300/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई कुआं, तालाब, व निर्माण आदि नहीं है,

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs.10000

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

0544 685587

A.T.O.D. TRY LKO

तथा 200 मी० के अर्धव्यास में कोई निर्माण नही है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नही है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से लगभग दो किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेतागण व क्रेता दोनो अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण

भूमि खसरा संख्या-51 रकबा-0.553 व खसरा संख्या 76 रकबा 0.378 हेक्टेअर, कुल रकबा 0.923 हेक्टेअर,

1000 Rs.

२000रु. R$ 1000

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

स्थित ग्राम यूसुफ नगर मगिलापक, परगना -बिजनौर, तहसील व जिला, लखनऊ, जिसकी चौहद्दी निम्न है।

खसरा नं० 51 रकबा 0.553 हेक्टेअर

पूरब	: खसरा संख्या-57, 71
पश्चिम	: खसरा संख्या-52
उत्तर	: खसरा संख्या-76
दक्षिण	: खसरा संख्या-50, 52, 55

1000Rs

INDIA NON JUDICIAL

१000रु.   Rs 1000

भारत

एक हजार रूपये   ONE THOUSAND RUPEES

<u>खसरा न० 76 रकबा 0.370 हेक्टेअर</u>

पूरब	: खसरा संख्या–71
पश्चिम	: खसरा संख्या–52
उत्तर	: खसरा संख्या–77
दक्षिण	: खसरा संख्या–51

<u>परिशिष्ट</u> : भुगतान विवरण

विक्रेतागण में रू0 14,32,905/– (रूपया चौदह लाख बत्तीस हजार नौ सौ पाँच मात्र) नगद व रू0 3,00,000/– बैनामे

1000Rs

सौ पूर्व क्रेता से प्राप्त किये, इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य विक्रेतागण को रू0 17,32,905/- (सत्रह लाख बत्तीस हजार नौ सौ पाँच रूपया) क्रेता से प्राप्त हुए तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेतागण स्वीकार करते हैं।

लिहाजा यह विक्रय पत्र हम विक्रेतागण ने क्रेता के पक्ष में समक्ष गवाहान बिना किसी जोर दबाव के, व स्वस्थ चित्त व मन

500Rs

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु. Rs 500

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

की दशा में लिख दिया ताकि सनद रहे

और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

लखनऊ

दिनांक: 04.11.2004

गवाह

1. S. K. Singh S/ Shri T. P. Singh
S-4 Gobind Complex
(Lucknow)

2.

विक्रेतागण

- 3 NOV 2004
A.T.O.T.O.
TRY.LKO

क्रेता

टाईपकर्ता

(राम सनेही)

मसविदाकर्ता

(अंकित रमेश सिंह)
एडवोकेट

ग्राम मसूदनगर उप-परगना मऊ शहबाजपुर
तहसील व जिला बागपत

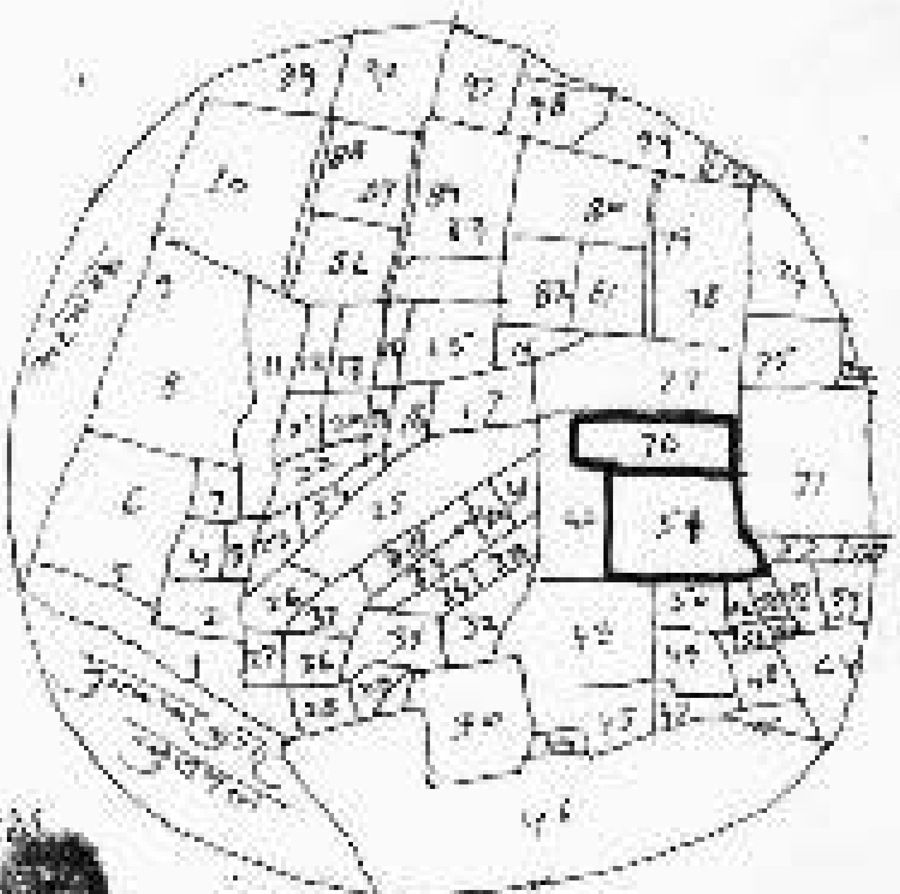

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्टस्

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता :

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

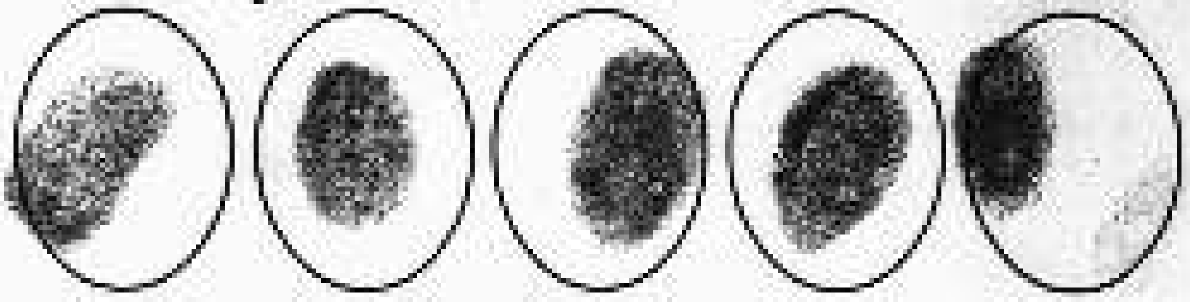

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता के हस्ताक्षर

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता :

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

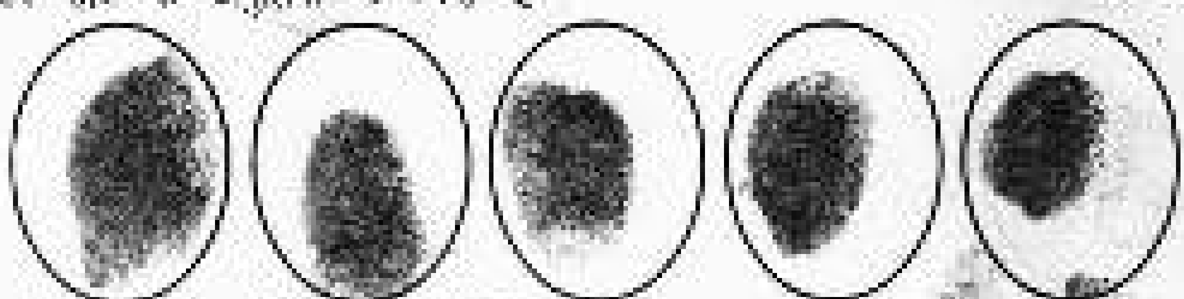

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

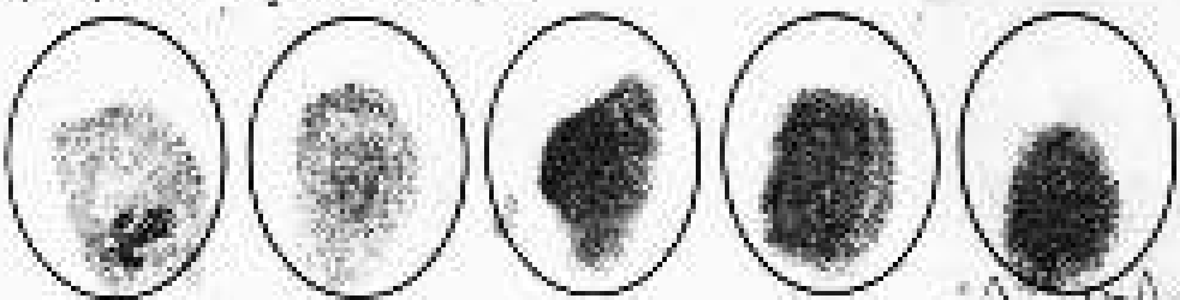

प्रस्तुतकर्ता/[illegible] हस्ताक्षर

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्टस

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता :--

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :

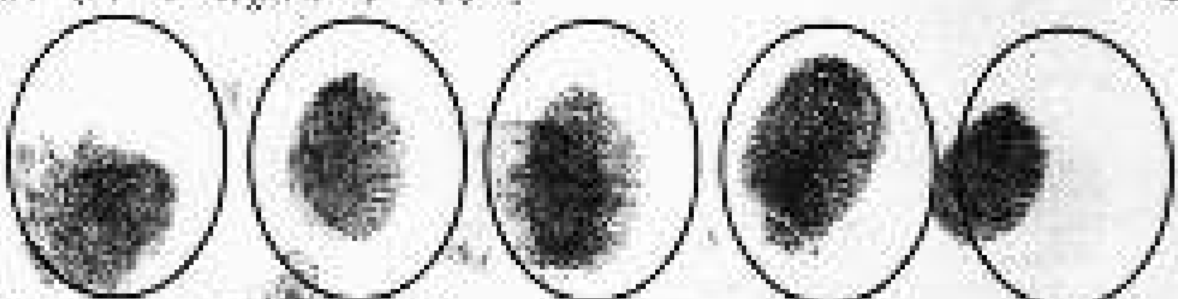

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :

-प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता के हस्ताक्षर

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता :--

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :

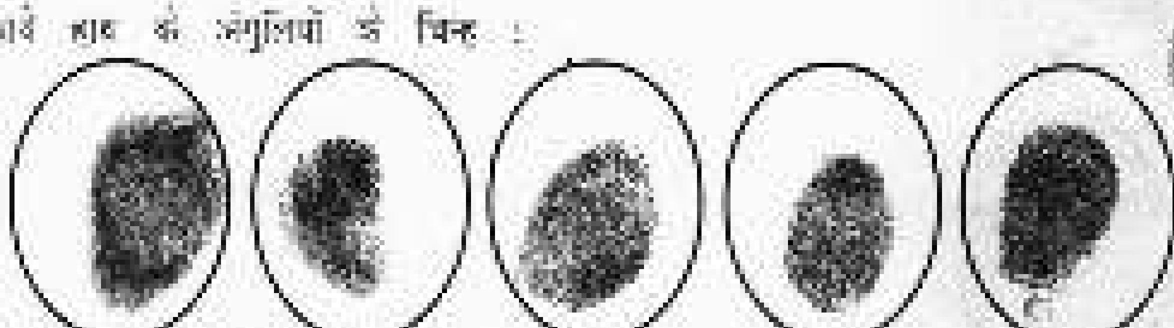

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :

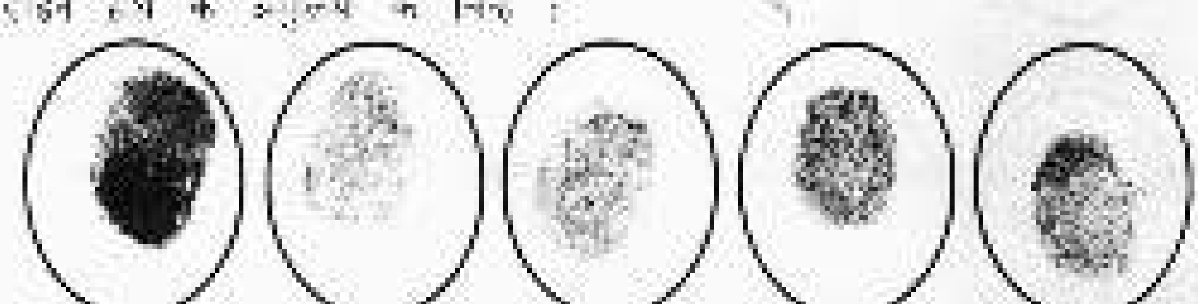

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

7520/04

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

03DD 283991

सं. टी. ए./कोषाधिकारी
आदर्श कोषागार लखनऊ

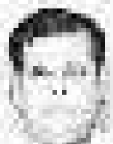

विक्रय मूल्य : रु0 17,33,905/-
अग्रिम धनराशि : रु0 3,00,000/-
स्टाम्प शुल्क : रु0 69,500/-
परगना : बिजनौर

विक्रय अनुबन्ध पत्र

यह अनुबन्ध पत्र श्री पुत्ती दीन, गौरी लाल पुत्रगण पिताई, व माधौ पुत्र बुद्धू, भैरई पुत्र झाऊ, निवासीगण ग्राम-चुटुआ नगर, परगना-बिजनौर, तहसील व जिला- लखनऊ, जिसे आगे प्रथम पक्ष कहा जायेगा एवं देहली टावर्स एण्ड इस्टेट प्राईवेट

Delhi Towers & Estate (P) Ltd.

Dy. G. M. (Project)

आदर्श कोषागार, [illegible]

विवरणिका [illegible]

[illegible]

सहा. कोषाधिकारी — कोषाधिकारी

[illegible] 173290

[illegible]

5000/- 30 = 2030

पुत्री [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

पुत्री [illegible]

[illegible]

25000

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

0300 783994

-2-

लिमिटेड, वर्तमान पता तृतीय तल वाई.एम.सी.ए. बिल्डिंग, 13 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ द्वारा उपमहाप्रबन्धक श्री के.के.सिंह पुत्र स्व. महेन्द्र सिंह पता- निवासी 13 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, आगे द्वितीय पक्ष कहा जायेगा।

जो कि विक्रेता प्रथम पक्ष खसरा संख्या-51, रकबा- 0.653, व खसरा संख्या-76, रकबा-0.370 हेक्टेयर स्थित ग्राम- यूसुफनगर एवं रणियामऊ, परगना-बिजनौर, तहसील व जिला- लखनऊ जिसे आगे सम्पत्ति कहा गया है, पूर्ण रूपेण उसके स्वामित्व में है तथा प्रथम पक्ष का कब्जा भी है जिसका पूर्ण

Delhi Towers & ... P. Ltd.

Dy. G. M. (Project)

आदर्श कोषागार, लखनऊ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

स्टाम्प विक्रेता   कोषाधिकारी

[illegible]

उप निबन्धक (द्वितीय)

लखनऊ

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

विवरण परिशिष्ट में दिया गया है प्रथम पक्ष का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। नगर महापालिका लखनऊ की परिधि में नहीं आता है तथा विक्रेता यह भी घोषणा करता है कि सम्पत्ति समस्त प्रकार के भारों, दायित्वों से मुक्त है।

जो कि विक्रेता प्रथम पक्ष सम्पत्ति उपरोक्त को द्वितीय पक्ष को विक्रय करना चाहता है तथा द्वितीय पक्ष भी सम्पत्ति को क्रय करने का इच्छुक है। किन्तु विक्रेता प्रथम पक्ष अनुसूचित जाति का सदस्य है इसलिए भूमि का अन्तरण सक्षम अधिकारी की अनुमति बिना सम्भव नहीं हो सकता इसलिए

Delhi Towers & Estates P. Ltd.

Dy. G. M. (Project)

5000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000 रु.

Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

165629

विक्रेता प्रथम पक्ष ने सम्पत्ति उपरोक्त के अन्तरण की अनुमति नीचे दिये नियत समय में अपने खर्चे पर द्वितीय पक्ष को लाकर देने का वादा किया है।

जो कि प्रथम पक्ष के उपरोक्त आश्वासन पर, कि वह नियत समय पर अनुमति लाकर देगा, उपरोक्त सम्पत्ति को रुपये 17.32,905/- में क्रय करना तय किया है जो कि विक्रेता प्रथम पक्ष को भी मान्य है। दोनों पक्ष निम्न शर्तों पर विक्रय अनुबन्ध करने को तैयार है।

Delhi Towers & Estates (P) Ltd.

By G.N. Bajaj

5000Rs

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

भारत

पांच हजार रूपये FIVE THOUSAND RUPEES

164186

अत: यह विक्रय अनुबन्ध पत्र निम्न शर्तों का साक्ष्य है :–

1. यह कि विक्रेता प्रथम पक्ष सम्पत्ति को विक्रय धनराशि रु0 17,32,905/– में बेचना चाहता है तथा द्वितीय पक्ष ने बतौर बयाना रु0 3,00,000/– प्रथम पक्ष को नीचे दी गयी परिशिष्ट अनुसार दे दिया है जिसे विक्रेता प्रथम पक्ष स्वीकार करता है। जब विक्रेता प्रथम पक्ष जमीन बेचने की अनुमति लाकर देगा तो उस समय द्वितीय पक्ष शेष धनराशि विक्रय विलेख के समय विक्रेता प्रथम पक्ष को देगा। प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।

Delhi Towers & Estates P. Ltd.

Dy. G. M. (Projects)

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु.

Rs 1000

भारत

एक हजार रूपये ONE THOUSAND RUPEES

2. यह कि विक्रेता प्रथम पक्ष सम्पत्ति से सम्बन्धित उसके स्वामित्व के कागजात जैसे खसरा जिसमें उसका नाम दर्ज हो, प्रथम पक्ष का नाम दर्ज होने के पूर्व के मालिक का नाम साठ–क ख की प्रति, खतौनी, किसान बही, ऋण भार मुक्त प्रमाण पत्र, अवयस्क का दावा न होने का प्रमाण पत्र, जमानत से ग्रसित न होने का प्रमाण पत्र आदि को विक्रय अनुबन्ध से १० दिन के अन्दर लाकर देगा। स्वामित्व के कागजात प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को इस अनुबन्ध के समय दिये हैं।

Delhi Towers & Estates (P) Ltd.

Dy. G. M. (Project)

1000Rs.

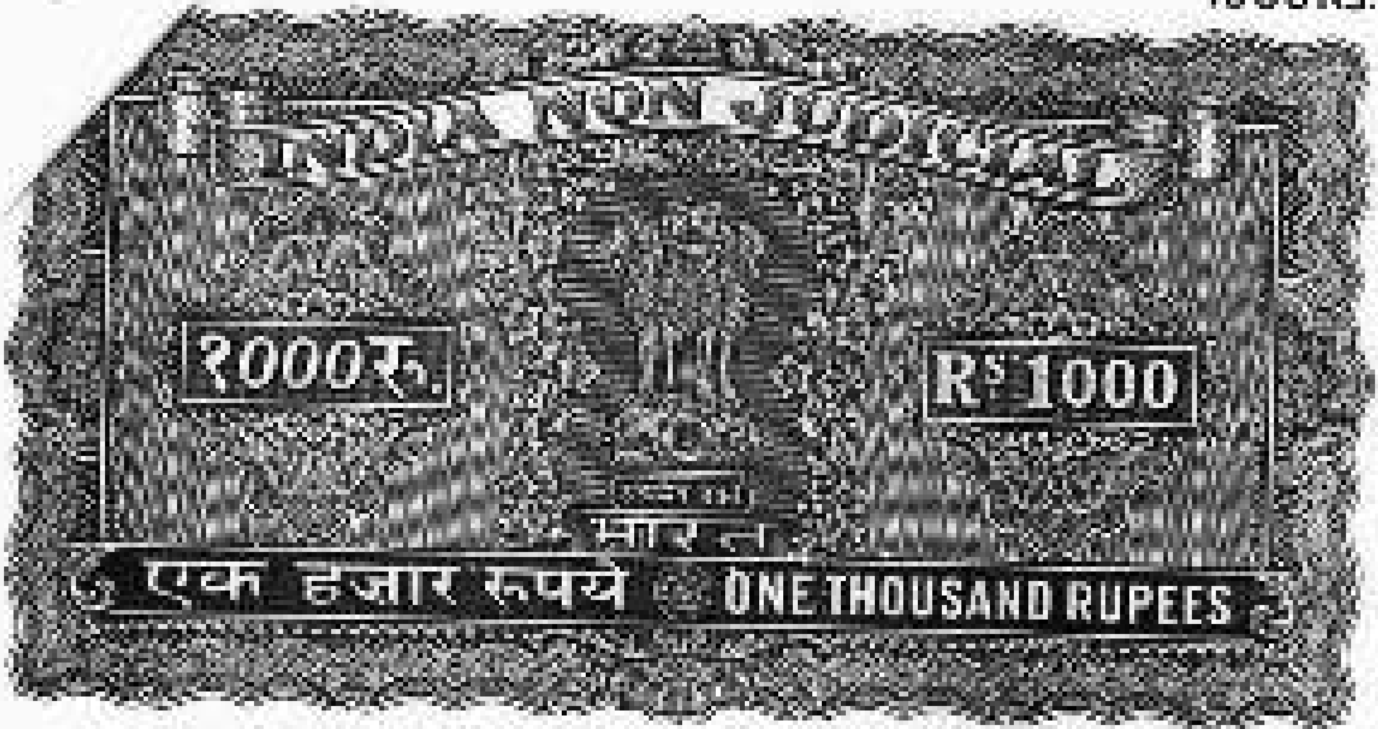

3. यह कि विक्रेता प्रथम पक्ष को अन्तरण योग्य बनाने के लिए जिलाधिकारी से बेचने की परमीशन इस विक्रय अनुबन्ध पत्र के निष्पादन से तीन माह के भीतर ला कर देगा तथा उसके एक सप्ताह के भीतर विक्रय पत्र निष्पादित करवा लेगा।

4. यह कि सम्पत्ति उपरोक्त किसी प्रकार की सरकारी, गैरसरकारी अदालती कार्यवाही में सम्मिलित नहीं है और किसी अन्य व्यक्ति या अवयस्क आदि का इस पर दावा नहीं है। अगर इस सम्पत्ति पर किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है तो विक्रेता प्रथम पक्ष व उसका

Delhi Towers & Estates P. Ltd.

Dy. G. M. (Project)

1000Rs.

नामित व्यक्ति जिसकी विक्रेता प्रथम पक्ष की जिम्मेदारी ली है, जिम्मेदार होगा तथा द्वितीय पक्ष को जो भी नुकसान होगा वह प्रथम पक्ष व नामित व्यक्ति या उसके वारिसान आदि से उसकी चल अचल सम्पत्ति से वसूल लेगा। प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।

5. यह कि सम्पत्ति जिसका कि अनुबन्ध हो रहा है वह पूर्ण रूपेण विक्रेता प्रथम पक्ष के अधिकार में है तथा इस पर किसी तरह का कोई भार, जमानत, शिकमी

Delhi Towers & Estate (P) Ltd.

Dy. G. M. (Sales)

1000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०००रु.

Rs 1000

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

किरायेदार आदि विक्रेता प्रथम पक्ष विक्रय पत्र द्वितीय पक्ष के पक्ष में निष्पादन तक नहीं रखेगा।

6. यह कि सम्पत्ति उपरोक्त पर किसी तरह का विवाद, भार या अदालती कार्यवाही लायी जाती है तो विक्रेता प्रथम पक्ष व उसके नामित व्यक्ति इस विक्रय अनुबन्ध की समस्त खर्च मय बयाना राशि द्वितीय पक्ष को देने के लिए बाध्य होगा।

7. यह कि अगर सम्पत्ति के स्वामित्व व अन्तरण सम्बन्धी सभी कागजात व परमीशन सही पाये जाते हैं और द्वितीय पक्ष

Delhi Tower & ... Ltd.

Dy. G. M. (Project)

500Rs.

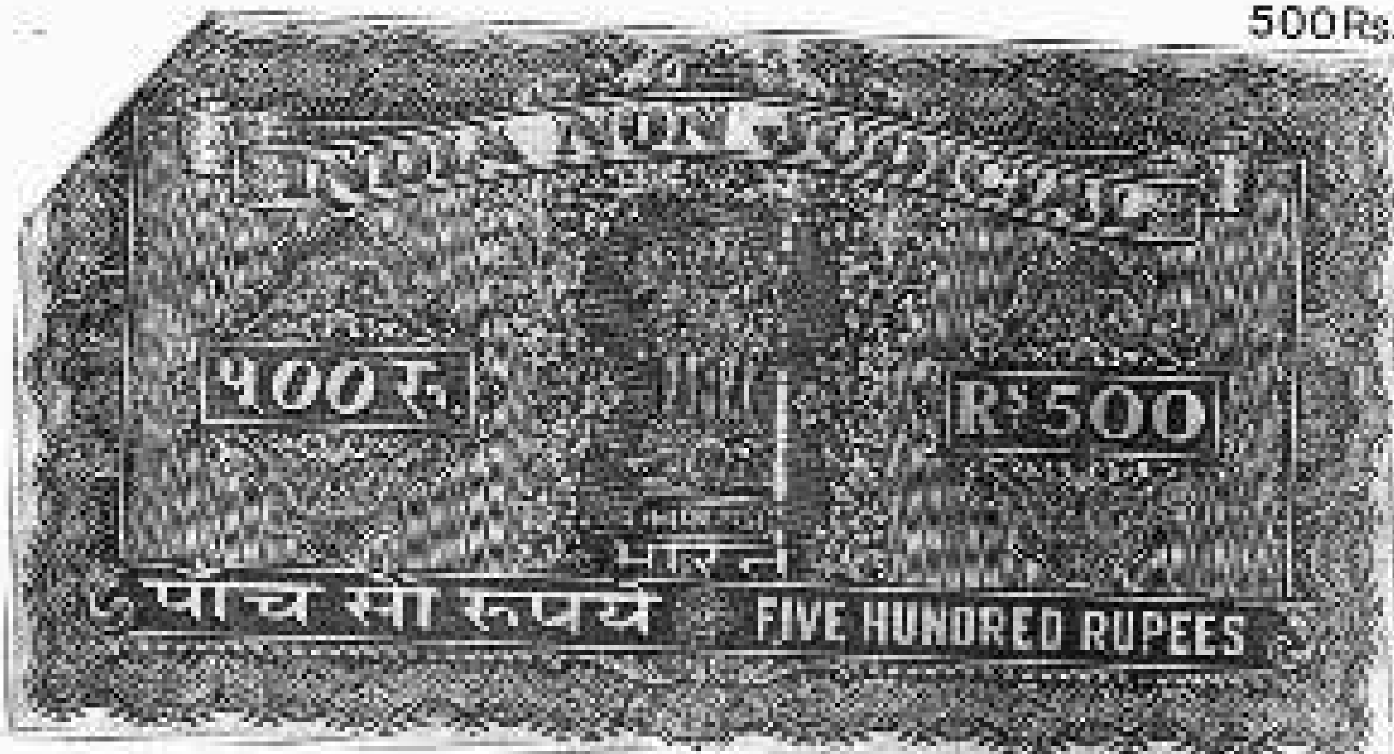

बयनामा न करायें तो विक्रेता प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि वह बयाना राशि जब्त कर ले।

8. यह कि विक्रेता प्रथम पक्ष विक्रय अनुमति प्राप्त करने के बाद अगर विक्रय विलेख द्वितीय पक्ष के हक में नहीं करता है तो द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह जरिये अदालत बयनामा अपने या अपने द्वारा नामित व्यक्ति या संस्था कम्पनी के हक में करा ले जो भी व्यय ऐसा करने में होगा वह विक्रेता प्रथम पक्ष के विक्रय धनराशि या चल अचल सम्पत्ति से लिया जायेगा।

Delhi Towers & Estate (P) Ltd.

Dy. G. M. (Project)

9. यह कि अगर विक्रय पत्र से पूर्व सम्पत्ति किसी अधिग्रहण योजना के अन्तर्गत आती है तो द्वितीय पक्ष विक्रेता प्रथम पक्ष से बयाना राशि वापस लेने का अधिकारी होगा।

10. यह कि इस विक्रय अनुबन्ध पत्र के द्वारा सम्पत्ति का कब्जा नहीं दिया जा रहा है।

11. विक्रेता प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष से तात्पर्य है कि दोनों पक्षों के वारिसान, निष्पादकगण, नामित व्यक्ति, संचालक आदि।

भुगतान परिशिष्ट

रू0 3,00,000/- (रुपया तीन लाख मात्र) द्वारा पेश आर्डर दिनांकित 27.08.2004 पंजाब नेशनल बैंक, हजरतगंज, लखनऊ प्रथम पक्ष विक्रेता ने द्वितीय पक्ष से प्राप्त किये।

चौहद्दी

खसरा संख्या-51, रकबा- 0.553, व खसरा संख्या-76, रकबा-0.370 हेक्टेयर स्थित ग्राम- मसूफनगर उर्फ बरियामऊ, परगना-बिजनौर, तहसील व जिला- लखनऊ की चौहद्दी निम्न है :-

खसरा संख्या-51, रकबा- 0.553 की चौहद्दी

पूरब : खसरा संख्या-71, 57 व 58

पश्चिम: खसरा संख्या-42

Delhi Towers [illegible] (P) Ltd.

[illegible]

उत्तर : खसरा संख्या–76

दक्षिण : खसरा संख्या–50,52, 55, 43

खसरा संख्या–76, रकबा– 0.370 की चौहद्दी

पूरब : खसरा संख्या–71

पश्चिम: खसरा संख्या 42

उत्तर : खसरा संख्या–77

दक्षिण : खसरा संख्या–51

लखनऊ

दिनांक: 27.00.2004

गवाहान:

1\.

2\.

विक्रेता/प्रथम पक्ष

Delhi Towers & E... (P) Ltd.

क्रेता/द्वितीय पक्ष

टाईपकर्ता :

(हरि रानेही)

मसविदाकर्ता :

(राजीव सिंह चौहान)

एडवोकेट

रजिस्ट्रेशन अधि० 1908 की धारा-32 ए० की अनुपालन हेतु, फिंगर्स प्रिन्ट्स

अनुबन्धकर्ता / विक्रेता नाम व पता :- [illegible]

[illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

अनुबन्धकर्ता / विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

[illegible]

विक्रेता/क्रेता नाम व पता :- [illegible]

[illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

[illegible]

रजिस्ट्रेशन अधि० 1908 की धारा-32 ए० के अनुपालन हेतु,

फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता नाम व पता :- [illegible]

[illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

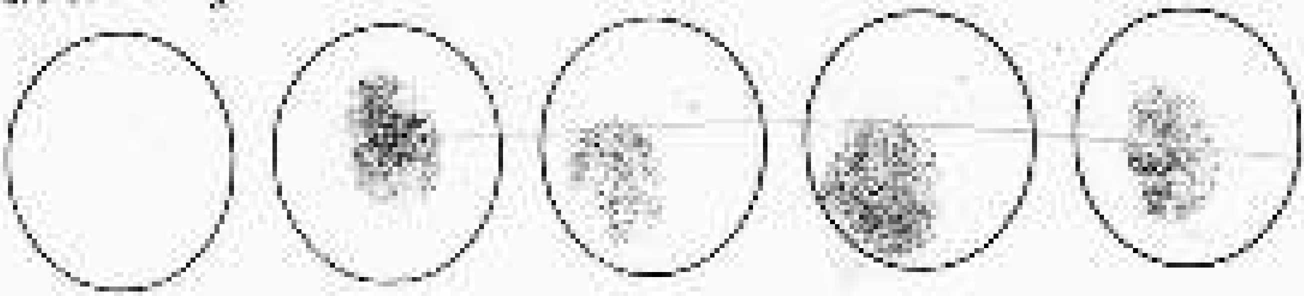

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

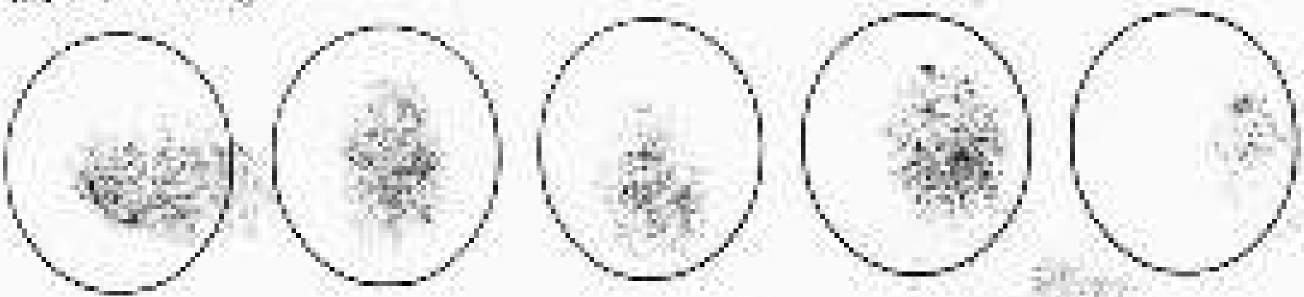

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

[illegible]

विक्रेता/क्रेता नाम व पता :- [illegible]

[illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

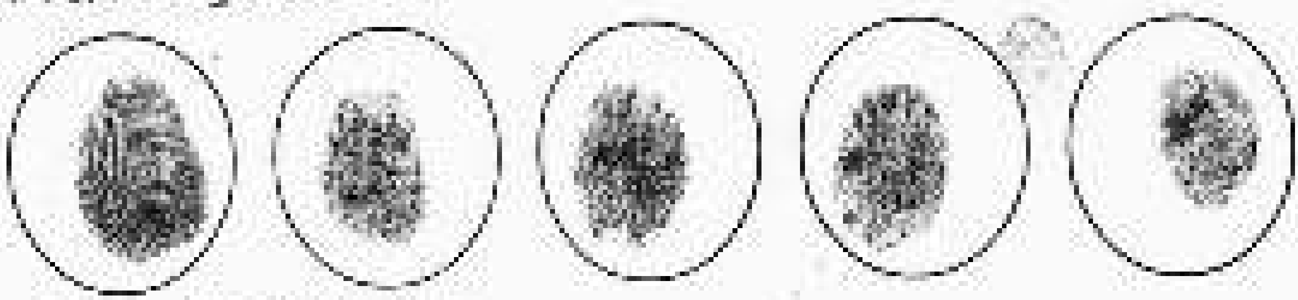

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

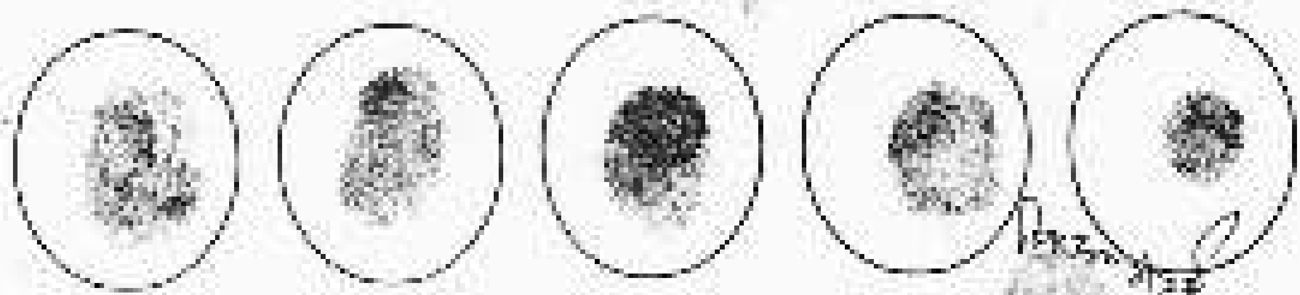

[illegible]

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

रजिस्ट्रेशन अधि० 1908 की धारा-32 ए० के अनुपालन हेतु,

फिंगर्स प्रिन्ट्स

महुआकर्ता/विक्रेता नाम व पता :- [illegible]

[illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

Delhi Towers & Estate (P) Ltd.
अनुबन्धकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर
Dy. G. M. (Project)

विक्रेता/क्रेता नाम व पता :-

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

11/1944 [illegible]

[illegible]